संजय कुमार अग्रवाल अध्यक्ष Sanjay Kumar Agarwal ^{Chairman}



भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes & Customs

21th April, 2025

DO No. 16/News Letter/CH(IC)/2025

Dear Colleague,

Every year, April 21st is commemorated as National Civil Services Day—a day dedicated to acknowledging the exceptional commitment, integrity, and service of civil servants across the country. Instituted to honour the pivotal role played by public officials in nation-building, this day also serves as an opportunity for introspection and renewal of the commitment to public service. The significance of the date traces back to 1947, when Sardar Vallabhbhai Patel, India's first Home Minister, addressed the first batch of civil service trainees, famously describing civil servants as the "steel frame" of India. More than a celebration, Civil Services Day is a reminder of the quiet strength of those who work tirelessly behind the scenes to ensure that the wheels of governance move smoothly, contributing to a stronger, more equitable, and forward-looking India.

In this spirit, CBIC has issued revised guidelines for processing GST registration applications by its field formations to enhance transparency and reduce the compliance burden on taxpayers. These guidelines, issued through Instruction No. 03/2025-GST dated 17th April 2025, aim to address grievances regarding delays and difficulties in the registration process—particularly those arising from unwarranted queries and demands for additional documents. This proactive step by CBIC is expected to streamline the registration process, bolster ease of doing business, and reinforce taxpayer trust in the system.

The instructions mandate officers to adhere strictly to the list of documents prescribed and avoid raising notices on presumptive grounds or minor discrepancies. Any deviation from the prescribed document list must be approved by the concerned Deputy/Assistant Commissioner. Zonal (Pr.) Chief Commissioners should closely supervise the status of the GST registration applications and issue

necessary trade notices, wherever required. Needless to mention, any deviation from the instructions shall be viewed seriously by the Board.

In a major crackdown on drug trafficking, the Directorate of Revenue Intelligence, Delhi seized 7.56 kg of cocaine valued at approximately Rs. 75.6 crore at IGI Airport, New Delhi. Acting on specific intelligence, DRI officers intercepted an Indian national arriving from Dubai. A detailed examination of the passenger's baggage revealed five handbags, within whose concealed inner layers, ten packets of white powder were found. The substance tested positive for cocaine. The accused has been arrested under the provisions of the NDPS Act. Excellent operation by DRI to safeguard the nation from the menace of drugs!

Until next week!

Yours sincerely,

Sigle

(Sanjay Kumar Agarwal)

All Officers and Staff of the Central Board of Indirect Taxes & Customs.

संजय कुमार अग्रवाल ^{अध्यक्ष} Sanjay Kumar Agarwal Chairman







वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes & Customs

21 अप्रैल, 2025

DO No. 16/News Letter/CH(IC)/2025

प्रिय सहसभी

प्रत्येक वर्ष, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है — यह दिन राष्ट्र के सिविल सेवकों की प्रतिबद्धता, ईमानदारी और सेवा को मान्यता देने के लिए समर्पित होता है। यह दिवस राष्ट्र निर्माण में लोक सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, और साथ ही यह सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि और आत्मचिंतन का अवसर भी प्रदान करता है। इस तिथि का महत्व 1947 वर्ष से जुड़ा है, जब भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने सिविल सेवा के प्रथम बैच को संबोधित किया था और सिविल सेवकों को भारत का "स्टील फ्रेम" के रूप में वर्णित किया था। एक उत्सव से कहीं अधिक, सिविल सेवा दिवस उन लोगों की सहज शक्ति का स्मरण कराता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करते हैं कि प्रशासन का पहिया सुचारू रूप से चलता रहे, तथा देश को एक मजबूत, अधिक समतापूर्ण और दूरदर्शी निर्माण में मदद मिले।

इसी भावना के अंतर्गत, CBIC ने अपने फील्ड फोर्मेशन्स द्वारा जीएसटी पंजीकरण आवेदनों की प्रक्रिया के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना और करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम करना है। ये दिशा-निर्देश इंस्ट्रक्शन संख्या 03/2025-GST दिनांक 17 अप्रैल 2025 के माध्यम से जारी किए गए हैं, और इनका उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में होने वाली देरी और अनावश्यक प्रश्नों या अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग के कारण उत्पन्न होने वाली शिकायतों का समाधान करना है। CBIC द्वारा उठाया गया यह सक्रिय कदम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने, व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने और कर प्रणाली में करदाताओं के विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

निर्देशों में अधिकारियों को निर्धारित दस्तावेजों की सूची का सख्ती से पालन करने तथा उन्हें केवल अनुमान के आधार पर या मामूली त्रुटियों को लेकर नोटिस जारी करने से बचने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित दस्तावेज़ सूची से कोई भी विभिन्नता की जाती है, तो उसके लिए संबंधित उप/सहायक आयुक्त की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। जोनल (प्र.) मुख्य आयुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आवेदनों की स्थिति की करीबी निगरानी करें और जहां आवश्यक हो, वहां उपयुक्त ट्रेड नोटिस जारी करें। यह

कहने की आवश्यकता नहीं कि इन निर्देशों से किसी भी प्रकार की विभिन्नता को बोर्ड द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा।

ड्रग पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI), दिल्ली ने IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली पर लगभग ₹75.6 करोड़ मूल्य की 7.56 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। विशेष सूचना के आधार पर, DRI अधिकारियों ने दुबई से आए एक भारतीय नागरिक को रोका। यात्री के सामान की गहन जांच में पांच हैंडबैग पाए गए, जिनकी छिपी हुई अंदरूनी परतों में सफेद पाउडर से भरे दस पैकेट बरामद हुए। जांच में यह पदार्थ कोकीन के रूप में पुष्टि हुआ। आरोपी को NDPS अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। देश को ड्रग्स के खतरे से बचाने के लिए डीआरआई द्वारा किया गया यह ऑपरेशन प्रशंसनीय है!

अगले सप्ताह तक !

भवदीय,

संजय सुमार्

(संजय कुमार अग्रवाल)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण।